

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत राईआगर-चौड़मन्या मोटर मार्ग के किमी० 3.20 से कोटेश्वर चचरेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई 5.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - कोटेश्वर चचरेत।

तहसील-बेरीनाग, जिला-पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत राईआगर-चौड़मन्या मोटर मार्ग के किमी० 3.20 से कोटेश्वर चचरेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.90 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.932 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.553 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 2.385 हे० वन भूमि का अ० ख०, लो० नि० वि० बेरीनाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चचरेत एवं कोटेश्वर द्वारा दिनांक 10/10/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रा प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

ह०/-

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत- चचरेत

वि० ख० - बेरीनाग

जिला- पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

दिनांक:-

को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- कोटश्वर चचरेत।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जमुना दत्त पुत्र स्व. उरी बल्लभ	जमुना दत्त
2	रमेश चन्द पुत्र स्व. उरी दत्त	रमेश चन्द
3	बसन्त बल्लभ पुत्र स्व. उरी दत्त	बसन्त बल्लभ
4	ललित प्रसाद पुत्र स्व. पद्मा दत्त	ललित प्रसाद
5	दया देवी पत्नी पुष्कर दत्त	दया देवी
6	राधा देवी पत्नी इरीश चन्द	राधा देवी
7	बसन्ती देवी पत्नी पुनू चन्द	बसन्ती देवी
8	चन्द शरवर पुत्र श्री देवी दत्त	चन्द शरवर
9	गणेश चन्द पुत्र श्री जय किशन	गणेश चन्द
10	जगन्नाथ पुत्र स्व. उरी दत्त	जगन्नाथ
11	जगदीश चन्द पुत्र स्व. विद्या चन्द	जगदीश चन्द
12	नीलाधार भट्ट पुत्र स्व. उरी राम	नीलाधार भट्ट
13	मुवन चन्द पुत्र स्व. सरामण दत्त	मुवन चन्द
14	नया बल्लभ पुत्र स्व. जय किशन	नया बल्लभ
15	पद्मेश चन्द पुत्र स्व. शंकर दत्त	पद्मेश चन्द
16	दिनेश चन्द पुत्र स्व. धनुराध भट्ट	दिनेश चन्द
17	पावता देवी	पावता
18	कविता देवी	कविता
19	इती देवी	इती देवी
20	आशा देवी	आशा देवी
21	माधवा देवी	माधवा देवी
22	प्रताप देवी	प्रताप देवी
23	कमला देवी	कमला देवी
24	नारायण सिंह	नारायण सिंह
25	रतन सिंह 810 कुंवर सिंह	रतन सिंह
26	दीपा देवी	दीपा देवी
27	सौरभ सिंह	सौरभ सिंह
28	केन्दु सिंह	केन्दु सिंह
29	सरस्वती देवी	सरस्वती देवी
30	अंजली महार	अंजली महार
31	अनूप प्रेम सिंह	अनूप प्रेम सिंह
32	जगदीश महार 100 पान सिंह	जगदीश महार
33	नरेश सिंह 510 कान्त सिंह	नरेश सिंह
34		
35	राज सिंह	राज सिंह
36	नीता देवी 100 दिवान सिंह	नीता देवी
37	मनदीप सिंह 510 चन्द सिंह	मनदीप सिंह

४०/-

ग्राम प्रधान

चम्पा देवी
प्रधान

ग्राम पंचायत- चचरेत

वि० ख० - बेरीनाग

जिला- पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)


 JMS
 सदस्य जिला पंचायत, पिपरीगढ़
 क्षेत्र चौधुना

कुमार आगरी
सदरद क्षेत्र पंचायत चौखुना
वि० ख० पंचायत (विद्यार)

नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

मंगल ०१० मंगल सिंह
गवरी देवी ०१० मंगल सिंह

मंगल सिंह

हेमा देवी

मीरा
अनीता देवी

~~चेचली सिंह~~

दिनेश सिंह

सावित्री देवी

~~मंगल~~

मंगल सिंह

~~मंगल~~

~~मंगल~~

उमेश सिंह

नरपता सिंह

मधन सिंह

कहाटा सिंह

विमान सिंह

लक्ष्मी देवी

कुमला देवी

दीपक मंगल

सुरेश मंगल

मंगल

JMS

सदस्य जिला पंचायत (पिशोरगढ़)

क्षेत्र चौखुना

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत राईआगर-चौड़मन्या मोटर मार्ग के किमी० 3.20 से कोटेश्वर चचरेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई 5.00 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बेरीनाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, धारवूला

उपखण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गतराज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत राईआगर-चौड़मन्या मोटर मार्ग के किमी० 3.20 से कोटेश्वर चचरेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०) (0.90 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.932 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.553 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.385 हे० वन भूमि) का अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बरोनाग) की दिनांक 10/10/2018 को सम्पन्न बैठक को कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री बुधर खेनी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | |
|------------------------------|---|
| 1- श्री <u>बुधर खेनी</u> | उपजिलाधिकारी -बेरीनाग अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>फकीर कुमार</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी-बेरीनाग सदस्य |
| 3- श्री <u>फकीर कुमार</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी बेरीनाग सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>मनीष कुमार झा</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र कोटेश्वर/चचरेत सदस्य / <u>चौड़मन्या</u> |
| 5- श्री <u>आशा देवी</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र कोटेश्वर/चचरेत सदस्य / <u>पौर आश्वी</u> |
| 6- श्री <u>सुरिता उसीला</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र कोटेश्वर/चचरेत सदस्य / <u>पौर सुकल्याणी</u> |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत राईआगर-चौड़मन्या मोटर मार्ग के किमी० 3.20 से कोटेश्वर चचरेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०) परियोजना हेतु 2.385 हे० वनभूमि अ० खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, श्री विनय कुमार भार्गव द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्समर्थो नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से अ० खण्ड लो०नि०वि० बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत राईआगर-चौड़मन्या मोटर मार्ग के किमी० 3.20 से कोटेश्वर चचरेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु 2.385 हे० वन भूमि अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० बेरीनाग, प्रयोक्ता एजेन्सी को जगहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर प्रस्ताव स्वीकृत की गयी।

[Handwritten signature]

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बेरीनाग
पिथौरागढ़ जिला

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- बेरीनाग
जनपद- पिथौरागढ़

[Handwritten signature]
चौड़मन्या

आशा देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत बरोनाग आवाहाट
पिथौरागढ़ जिला

सुरिता उसीला
क्षेत्र पंचायत सदस्य
पौरा सुकल्याणी
क्षेत्र-बेरीनाग (पिथौरागढ़)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत राईआगर-चौड़मन्या मोटर मार्ग के किमी0 3.20 से कोटेश्वर चचरेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई 5.00 किमी0

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़।

उपखण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गतराज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत राईआगर-चौड़मन्या मोटर मार्ग के किमी0 3.20 से कोटेश्वर चचरेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 किमी0) (0.90 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.932 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.553 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.385 हे0 वन भूमि) का अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 बेरीनाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बेरीनाग) की दिनांक 10/10/2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी. रविशंकर, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री सी. रविशंकर जिलाधिकारी - पिथौरागढ़ अध्यक्ष।
- 2- श्री डॉ. विनय कुमार शर्मा प्रभागीय वनाधिकारी-पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्री रमेश चandra जिला समाज कल्याण अधिकारी बेरीनाग सदस्य/सचिव
- 4- श्री कमलेश राम आर्या जिला पंचायत सदस्य/सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत राईआगर-चौड़मन्या मोटर मार्ग के किमी0 3.20 से कोटेश्वर चचरेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 किमी0) परियोजना हेतु 2.385 हे0 वनभूमि अ0 खण्ड, लो0नि0वि0 बेरीनाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, श्री विनय कुमार शर्मा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से अ0 खण्ड लो0नि0वि0 बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत राईआगर-चौड़मन्या मोटर मार्ग के किमी0 3.20 से कोटेश्वर चचरेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 2.385 हे0 वन भूमि अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 बेरीनाग, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
पिथौरागढ़।

प्रभागीय वनाधिकारी समिति/सदस्य
पिथौरागढ़।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ़।

जिला पंचायत/सदस्य

पिथौरागढ़।

कमलेश राम आर्या
सदस्य
जिला पंचायत - सरमोली
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

मन्जुला बुदियाल
सदस्य जिला पंचायत
(सिदीग) धारचूला

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Pithoragarh

No---

Dated---11/12/18

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.385** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of R.E.S.P.M.G.S.Y. Didihat (name of user agency) for **Rayagarh Choudmanya M/R To Kpteshwar ChaCharet** motore motor road (purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh district falls within jurisdiction of **koteshwar chacharet** village (s) in Berinag tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.385** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. C.Ravishankar I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 11/12/18. at time 2.00 p.m. at Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring 2.385 hect for the construction of **Rayagarh chourmanya M/R to koteswar chacharet** Moter Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Berinag** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh

Dated: 11/12/2018


Deputy Commissioner cum-Chairman
District Lev